

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक- ७ / ०१ / 2019

विषय:- श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड-20-2210011100008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विद्युत प्रभार, सामग्री एवं पूर्तियाँ, दवा भण्डार तथा मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त रु0 6,00,00,000/- मात्र तथा कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख रखाव मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त रु0 1,05,00,000/- मात्र तथा वाहन का ईंधन एवं रख रखाव मद में आय-व्ययक में उपबंधित राशि से रु0 2,50,000/- मात्र अर्थात् कुल रु0 7,07,50,000/- (रुपये सात करोड़ सात लाख पचास हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड-20-2210011100008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार विद्युत प्रभार, सामग्री एवं पूर्तियाँ, दवा भण्डार तथा मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त रु0 6,00,00,000/- मात्र तथा कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख रखाव मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त रु0 1,05,00,000/- मात्र तथा वाहन का ईंधन एवं रख रखाव मद में आय-व्ययक में उपबंधित राशि से रु0 2,50,000/- मात्र अर्थात् कुल रु0 7,07,50,000/- (रुपये सात करोड़ सात लाख पचास हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक 06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक 08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210011100008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन, स्वीकृत्यादेश सं०-1431(1), दिनांक-19.12.2018 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त तथा आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

०

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
7. इस आवंटनादेश द्वारा 0008.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए भी राशि शामिल है।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

4/1/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/एस0मे0को0अ0-02/2018- 82(1) 50 /स्वा0, पटना, दिनांक- 3 / 01 / 2019
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा),
बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/
निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/1/19

सरकार के विशेष सचिव

श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210011100008 को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0008.13.01 कार्यालय व्यय	10000000	0	10000000	20000000	10000000	10000000	20000000	0
0008.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	500000	0	500000	1000000	250000	750000	1000000	0
0008.13.04 विद्युत प्रभार	15000000	10000000	0	25000000	15000000	10000000	25000000	0
0008.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	10000000	10000000	0	20000000	10000000	10000000	20000000	0
0008.21.02 दवा भण्डार	90000000	20000000	0	110000000	90000000	20000000	110000000	0
0008.52.01 मशीनें एवं उपस्कर -कार्यालय	20000000	20000000	0	40000000	20000000	20000000	40000000	0
कुल योग-	145500000	60000000	10500000	216000000	145250000	70750000	216000000	0

(रुपये सात करोड़ सात लाख पचास हजार)

820080
7-01-19

सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या-1/एस0मे0कॉ0अ0-04/2018-1431(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-19/12/2018

सेवामें,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा-वित्त विभाग

विषय:- माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210011100008 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 0008.13.01 कार्यालय व्यय तथा 0008.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव मद में कुल रू0 1,05,00,000/- (रुपये एक करोड़ पाँच लाख) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश- वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत 0008.13.01 कार्यालय व्यय तथा 0008.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव मद में रू0 1,05,00,000/- (रुपये एक करोड़ पाँच लाख) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210011100008 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007 एवं 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Q 19/12/18

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या-1/एस0मे0कॉ0अ0-04/2018-1431(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 19/12/2018

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-1 को अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Q 19/12/18

सरकार के विशेष सचिव

अतिरिक्त / अनुदान

.....के लिए आवेदन-पत्र
पुनर्विनियोग

सेवामें,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

*द्वारा-वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-1/एस0मे0कॉ0अ0-04/2018- 12/0(1)/स्वा0, पटना, दिनांक-02/11/2018

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210011100008 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 0008.13.01 कार्यालय व्यय तथा 0008.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव मद में कुल रू0 1,05,00,000/- (रुपये एक करोड़ पाँच लाख) पुनर्विनियोग की स्वीकृति के प्रसंग में वित्त विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापित।

2. अतिरिक्त / अनुदान मांग सं0-20

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन पदाधिकारी का पदनाम- अधीक्षक, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर

नियंत्रण पदाधिकारी का पदनाम- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

अतिरिक्त / अनुदान मांग सं0-20

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्याशित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो।

पुनर्विनियोग

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210011100008 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 0008.13.01 कार्यालय व्यय तथा 0008.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव मद में कुल रू0 1,05,00,000/- (रुपये एक करोड़ पाँच लाख) मात्र की राशि संस्थान के कम्प्यूटरीकरण, नवनिर्मित वार्ड एवं अन्य विविध सामग्रियों के क्रय तथा वाहन का ईंधन एवं मरम्मत कार्य के लिए नितान्त आवश्यकता है।

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210011100008 के 0008.21.03 आहार/पथ्य मद में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल समतुल्य राशि रू0 1,05,00,000/- (रुपये एक करोड़ पाँच लाख) मात्र के बचत की संभावना है, जिसे प्रत्यर्पित करते हुए पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपस्थापित है।

पुनर्विनियोग की राशि बजट उपबंध के 25% के अंदर है।

Kan
2/11/18
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुसूची 53-प्रपत्र-सं0-221

मौग सं0-20

अनुदान/विनियोग

मौग सं0-20

मौग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-विकिस्ता तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य
सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210011100008

मौग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-विकिस्ता तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य
सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर,
विपत्र कोड-20-2210011100008

शीर्ष जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।						शीर्ष जिससे विनियोग प्रस्तावित है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विनियोग की प्राथमिक ईकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान	कुल अनुदान को जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक ईकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यर्पित राशि	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा
	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0		₹0	₹0	₹0	₹0	₹0
0008.13.01 कार्यालय व्यय	10000000	10000000	20000000	10000000	20000000	0008.21.03 आहार/पथ्य	35000000	35000000	24500000	10500000	24500000
0008.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	500000	500000	1000000	500000	1000000						
कुल योग-				10500000						10500000	

1810(1)
02-11-2018

Number
2/11/18
सरकार के सयुक्त सचिव